राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
140/2017	धारा 91 एल.आर.एक्ट	04.10.2016	29.01.2021

उनवान सरकार बनाम पोपसिंह, लालचन्द, रोहताश पिता विश्ना जाति मेघवाल निवासी सावलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सांवलोद ने सम्वत 2073 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वाके ग्राम सांवलोद की राजकीय भूमि ख0न0 499/1 कुल रकबा 3.92 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 0.03 है0 भूमि पर अतिक्रमी पोपसिंह, लालचन्द, रोहताश पिता विश्ना जाति मेघवाल निवासी सांवलोद ने अवैध रूप से छड़ी डालकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया। जिसका गहनता से मनन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिकमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि में छड़ी डालकर अतिकमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जेर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से छड़ी डालकर अतिकमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 7.90/- का अतिक्रमण शुदा लगान 0.024 की 50 गुणा जुर्माना राशि 2.00/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मंजेश पूनिया)
तहसीलदार
तहसीलदार बुहाना
बुहाना (झुन्झुनू) राज०

रा.ले. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 82
पर 2/- की मांग कायम की गई।

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना

नि निर्देश न्यायालय के आदेश दि. 25-12-15
की पालना करते हुये उक्त उनवानी प्रकरण में

Scanned with CamScanner